सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 288 राँची, गुरुवार, 15 वैशाख, 1938 (श०)
5 मई, 2016 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

20 अप्रैल, 2016

विषय :- 14वाँ वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में **General Basic Grant, General Performance Grant** के रूप में कर्णांकित एवं प्राप्त आवंटन से राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में योजना कार्यान्वयन के संबंध में।

संख्या--3/न०/वि०/14**वाँ FC/**योजना **चयन/**110/2015-**2203--** 14वाँ वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक भारत सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में निम्नांकित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राशि आवंटित किये जाने का प्रस्ताव हैः-

"The purpose of the basic grant is to provide a measure of unconditional support to the municipalities for delivering the basic functions assigned to them under their respective statutes. The grant provided is intended to be used to improve the status of basic civic services including water supply, sanitation including septage management, sewerage and solid waste management, storm water drainage, maintenance of community assets, maintenance of roads, footpaths and street-lighting, and burial and cremation grounds."

उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा राशि कर्णांकित की गई है। कर्णांकित राशि के विरूद्ध प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान दो किश्तों में वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार द्वारा राज्य के संचित निधि में गैर-योजना मद में राशि विमुक्त की जानी है, जिसे गैर-योजना बजट उपबंध के अधीन नगर निकायों को आवंटित किया जायेगा।

2. 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, वित्त आयोग संभाग, भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्ग-निर्देशिका के अनुसार झारखण्ड राज्य के नगर निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक कर्णांकित राशि की स्थिति निम्नवत् हैः-

क्र॰	वित्तीय वर्ष	कर्णांकित राशि (करोड़ में)		कर्णांकित राशि का कुल योग
		General Basic Grant	General Performance Grant	
1	2015-16	183.74	-	183.74
2	2016-17	254.42	75.09	329.51
3	2017-18	293.95	84.97	378.92
4	2018-19	340.05	96.50	436.55
5	2019-20	459.48	126.35	585.83
	कुल-	1531.64	382.91	1914.55

3. उपर्युक्त कर्णांकित राशि के विरूद्ध वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, वित्त आयोग संभाग, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में अबतक विमुक्त राशि एवं निकायों को आवंटित राशि की स्थिति निम्नवत है:

(राशि लाख में)

प्रक्षेत्र	वित्तीय वर्ष	केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि			निकायों को विमुक्त राशि (लाख में)
		प्रथम किश्त (लाख में)	द्वितीय किश्त (लाख में)	कुल राशि (लाख में)	
General Basic Grant	2015-16	7011.00	0.00	7011.00	7011.00
General basic Grant	2015-16		9949.62	9949.62	9949.62
Total Grant Received in 2015-16		16960.62			

4. General basic Grant के तहत् कर्णांकित राशि निकायों को वर्ष 2011 के जनसंख्या के आधार पर 90% एवं क्षेत्रफल के आधार पर 10% राशि आवंटित की जानी है। इसी प्रकार, 14वें वित्त आयोग के तहत् Performance Grant के रूप में कर्णांकित राशि निकायों को कतिपय शर्त्तों के अनुपालन के आधार पर आवंटित की जानी है, जो निम्नवत् हैः-

(i) To be eligible, the Urban Local Body will have to submit audited annual accounts that relates to a year not earlier than two years preceding the year in which it claim the Performance Grant. To illustrate, the audited account required for performance grant in 2016-17 will be for the FY 2014-15; for performance grants in 2017-18, the audited accounts will be for the year 2015-16; for performance grants in 2018-19, the audited accounts will be for 2016-17; and for performance grants in 2019-20, the audited accounts will be for 2017-18.

(ii) Urban Local bodies have to show an increase in own revenues over the preceding year, as reflected in audited accounts. The improvement in revenues will be determined on the basis of these audited accounts and on no other basis. For computing the increase in own revenues in the particular year, the proceeds from octroi and entry tax must be excluded.

(iii) Urban Local Bodies must publish service level bench mark relating to basic urban services each year for the period of award and make it publically available. The service level bench marks of the Ministry of Urban Development may be used for this purpose.

5. 14वां वित्त आयोग के तहत् 2015-16 से 2019-20 तक वर्षवार कर्णांकित राशि में से 2015-16 के लिए कर्णांकित राशि कुल 183.74 करोड़ रूपये में से प्रथम किश्त के रूप में कुल 70.11 करोड़ रूपये General Basic Grant के तहत् आवंटित की गयी है। उक्त आवंटित राशि निकायों को स्वीकृत्यादेश संख्या-70, 71 एवं 72, दिनांक- 06.10.15 द्वारा उपलब्ध करायी जा चुकीहै।

द्वितीय किश्तके रूप में कुल 96.4962 करोड़ रूपये General Basic Grant के तहत् आवंटित की गयी है। उक्त आवंटित राशि निकायों को स्वीकृत्यादेश संख्या-260, 261 एवं 262, दिनांक 21 मार्च, 2016 द्वारा उपलब्ध करायी जा चुकी है।

6. भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में "अमृत (AMRUT) योजना" का शुभारम्भ किया गया है, जिसे वर्त्तमान में झारखण्ड राज्य के सात शहरों में योजना लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निकाय अंश की 80% राशि 14वें वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त राशि से व्यय किये जाने का प्रावधान है।

7. वर्णित वस्तुस्थिति के आलोक में मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक

23 दिसम्बर, 2015 को सम्पन्न उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति (HLMC) की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार 14वें वित्त आयोग के तहत् कर्णांकित एवं आवंटित राशि में से निकाय स्तर पर योजना कार्यान्वयन हेतु निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की जाती है:

7.1 13वें वित्त आयोग अंतर्गत उच्चस्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा स्वीकृत वैसी सभी योजनायें, जिनके कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं रहने के फलस्वरूप आंशिक राशि आवंटित की गई थी, का कार्यान्वयन सम्पन्न कराने के लिए 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत General Basic Grant एवं General Performance Grant के रूप में प्राप्त राशि से योजना पूर्ण की जायगी।

7.2 केन्द्र प्रायोजित "अमृत (AMRUT) योजना" के अंतर्गत चयनित 07 निकाय, क्रमशः राँची, देवघर, धनबाद, चास, आदित्यपुर, हजारीबाग एवं गिरिडीह हेतु स्वीकृत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निकाय अंश की राशि का 80% 14वें वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त राशि से व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

7.3 14वें वित्त आयोग के तहत् भारत सरकार द्वारा आवंटित राशि से राज्य के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में "अधिकतम नागरिकों को

अधिकतम लाभ" (Maximum benefit to maximum numbers) की अवधारणा के आधार पर न्यूनतम 50 लाख रूपये की योजनायें चयनित करते हुए नियमानुसार विभागीय अनुमोदन के उपरांत कार्यान्वित की जायगी।

8. उपर्युक्त निर्णय के आलोक में शहरी स्थानीय निकायों को यह निदेशित किया जाता है कि 14वें वित्त आयोग के तहत् आवंटित राशि से कंडिका-7.1 एवं 7.2 के आलोक में योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए विभाग को सूचित किया जाएगा। साथ ही, कंडिका-7.3 के अनुसार योजना का चयन कर विभागीय अनुमोदन हेतु अविलम्ब विभाग को सूचित किया जाएगा।

9. शहरी स्थानीय निकायों को 14वें वित्त आयोग के तहत् Performance Grant के अंतर्गत कर्णांकित राशि के आवंटन हेतु कंडिका-4 एवं कंडिका-7 के अनुसार कार्रवाई करते हुए विभाग को सुविचारित प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाएगा।

10. उपर्युक्त वर्णित प्रस्ताव पर उच्चस्तरीय अनुश्रवण समिति (HLMC) एवं माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 288—50 ।